

8.4.17 प्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत  
 में पेश हुई। कमील दादीनी व पुत्रिकली  
 सी. 3 व 4 के कमील अर्वाच्छ / शेष  
 पुत्रिकली (कतरफा) कमील दादीनी  
 की ओर से दिनांक 22.3.17 को  
 उल्लूख प्रार्थना पर अन्तर्गत धारा 53  
 RTI के अन्तर्गत विद्यमान होने वाले  
 प्रार्थना पर अन्तर्गत आदेश 6 दिनांक 17  
 08 पर सहमत नहीं गयी। यद्यपि कमील  
 दादीनी ने लिखित किया, कि  
 पाठ्यक्रम जारी के अन्तर्गत में अन्तर्गत  
 दादीनी का दादा प्रारम्भिक रूप से लीक  
 किया जाकर पाठ्यक्रम जारी का संस्थापक  
 उल्लूख प्रार्थना गंगा गंगा है। कमील अन्तर्गत  
 संस्थापक करवाता नहीं करता है। जो  
 दादा के द्वारा 53 RTI के अन्तर्गत  
 को निराला करते हुए अन्तर्गत प्रार्थना  
 जारी। अन्तर्गत अन्तर्गत किया, कि दादा पर  
 में अन्तर्गत रखने के अन्तर्गत रखने लगे  
 63 व 157 का दादा के अन्तर्गत अन्तर्गत  
 से अन्तर्गत लेना रहे गंगा थी। जो उन्तर्गत  
 का अन्तर्गत किया जाकर अन्तर्गत है। अन्तर्गत  
 दादीनी की अन्तर्गत प्रार्थना पर लीक किया  
 जाकर दादा के अन्तर्गत रखने के लिये  
 रखने रखने 63 व 157 के अन्तर्गत  
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत जारी किया जावे।  
 कमील पुत्रिकली ने अपनी कहल में कमील  
 दादीनी की कहल का अन्तर्गत अन्तर्गत  
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

M. G. S.  
 सहायक कलेक्टर  
 SDO सिणधरी

ख  
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

43/16 कदमा क्रं 41 देहादि वगैरे

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

इसने उक्तप्रमाण आधीवक्ता को की  
वहल पर मगत किमी और पत्रावली  
क उल्लेख आधीन पत्रों का सम्बन्ध  
पूर्वके अक्लोकन किमी तथा तथ्यों की  
विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किमी।  
अधीनमे पाया कि वाड का से अहित  
खसरो के ~~सम्बन्ध~~ सम्बन्ध में वादीनी की  
वाड मुत्तमिक रूप से लकीर किमी  
आकर वाडपाल खासि का संख्या  
उल्लेख तहसीलवार सिगचरी ले लम्ब  
किमी मगा है कि वादीनी 1971 काड  
का से अहित खसरो के अलावा  
खसरो सं 63 व 157 की लक्षित  
कोते इर कालि डिक्की खासी को  
का अडनोय किमी है जो कातर  
विधि लागत नहीं है। अधीन वाड  
का से अहित खसरो के अलावा  
उल्लेख का से अहित खसरो के  
लक्षित नहीं किमी का लागत है  
अधीन खसरा सं 63 व 157 के पत्रावली  
को उल्लेख आधीन है जो  
वाड की उल्लेख उल्लेख का लम्ब  
नहीं है अतः आधीन वाड का  
स्टेप का पैरा की खासि चाहिए की  
जो पैरा नहीं की गई है। (लिहाजा)

सहायक कलेक्टर  
SDO सिणधरी

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी है

वादीनी द्वारा उल्लूख प्राप्त न पत्र  
उल्लूखित आदेश 6 दिनांक 17 CPC  
व्यवस्था की जाती है। हाथ-वादीनी  
वादावृत्त शक्ति के लक्ष्य में जारी  
व्यवस्था कभी करवाना नहीं चाहती  
है केवल 17 वादावृत्त शक्ति में  
श्वेतवारी घोषणा ही करवानी चाहती  
है इनके अदालत को कोई अधिकार  
नहीं है।

अतः वादीनी का प्रार्थना  
पत्र पाले - धारा 53 RA Act की  
दस्तावेजों को विद्वां करने का  
स्वीकार किया जाकर, उल्लूखित 17  
के धारा 53 RA Act विद्वां (निर्णय)  
की जाती है और वादावृत्त में उल्लूखित  
विशेष धारित किया जाता है।

गैरव्याप्य वादीनी का वादावृत्त  
कप ले स्वीकार किया जाकर नाम-  
पापका खुद तहलील सिवायरी की उल्लूख  
संख्या सं 326 संख्या 51 कीधी शक्ति  
में वादीनी को अतिप्राप्ती सं. 1 ले 4 के लक्ष्य  
करवातेजाए करार देते हुए, 1/5 तहलिया  
वादीनी की संख्या 1/5, 1/5 तहलिया अतिप्राप्ती  
सं. 1 ले 4 अलपेक की श्वेतवारी में  
घोषित किया जाता है। क ग्राह - वापदेवरा  
तहलील सिवायरी की उल्लूख संख्या सं  
166 संख्या 88-16 कीधी में 1-10 कीधी

सहायक कलेक्टर  
SDO सिवधरी

जो ख  
की तारीख  
जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

वादीनी की, 7-08 बीधा उत्तिकादी स. 5  
की, 2-19 बीधा उत्तिकादी स. 3 की  
सं 2-19 बीधा उत्तिकादी स. 4 की  
स्वातेदारी के घोषित की जाती है  
इसी प्रकार ब्रामि- पापला खुर्द तहसील  
सिणधरी की खेत खण्ड लखना  
34 खण्ड 65-11 बीधा उत्तिकादी के  
3-13 बीधा वादीनी की, 2-18 बीधा  
उत्तिकादी स. 1 व 2 की, 2-04 बीधा  
उत्तिकादी स. 3 की सं 2-04 बीधा  
उत्तिकादी स. 4 की स्वातेदारी के घोषित  
की जाती है। शेष बद्रसूत रहेगा।  
तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राष्ट्रिय  
सिद्धि के कर्तव्य द्वाारा किसे ज्योति  
की कार्यवाही कराना जाता है। तदनुसार  
करावे। तदनुसार ही कार्य जारी है।

प्रावली के जल लुप्त होना  
कारण बद्रसूत है।

जि. 08/11/12  
सहायक कलेक्टर  
SDO सिणधरी

अंतिम डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई  
(ऑर्डर 20,रूल 6-7,जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d"1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी बमुकाम सिणधरी  
ब इजलास श्री नाथूसिह राठौड़, आर.ए.एस.

वादीनी

बनाम

प्रतिवादीगण

कमलाकंवर पत्नि दीपसिह  
जाति राजपुत निवासी रतनपुर  
हॉल निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी  
जिला बाड़मेर

1.छेलसिह 2.हेमसिह 3.शैतानसिह 4.इन्द्रसिह  
पिसरान हीरसिह जाति राजपुत निवासी  
रामदेवरा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर  
5.चुनीदेवी पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी  
छोरालिया नाड़ा तहसील सिणधरी व जिला  
बाड़मेर 6.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद स.-43/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु न्यायालय बहाजरी श्री  
अमराराम चौधरी व श्रीमति इन्द्रकौर व्यास वकील मिनजानिब व श्री जोगराज पोटलिया प्रतिवादी स.3 व  
4 अधिवक्ता,शेष प्रतिवादी एकरतफा मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिकरी  
दी जाती हैं,कि वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 08.04.2017 मे  
अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी मे पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश  
दिये जाते है। कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया  
जाना सुनिश्चित करावे।

बीज - मुबलिग - बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरह ———फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी  
तक ——— को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 8/4/17 को जारी की गई।

  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी